

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 24.01.2024

नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित एवं फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा के नेतृत्व में 30नि0 अरविन्द कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 540/2024 धारा 419,420,467,468,471,406,504,506 भादवि से संबंधित अभियुक्त सुभाष चन्द्र को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेना व अवैध/कूटरचित नियुक्ति पत्र देने व पैसा मांगने पर गाली-गुफ्ता देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुभाषचन्द्र पुत्र रामकिशुन निवासी अजगरा थाना चोलापुर जनपद वाराणसी

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 540/2024 धारा 419,420,467,468,471,406,504,506,भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 रजनीश मिश्रा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. कां0 दिनेश सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
4. कां0 ओमप्रकाश थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर